

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल 2019—चैत्र 19, शक 1941

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019

क्र. 32-18-2019-मध्यम-इकतीस-82.—यतः, जल उपभोक्ता संथाओं के एक तिहाई सदस्यों एवं उनके अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के कारण संभव नहीं हो सकी थी, इसलिए 5120 सदस्यों और 1765 अध्यक्षों का कार्यकाल दिनांक 3 जनवरी, 2019 को समाप्त हो गया है.

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ऐसी जल उपभोक्ता संथाओं के सदस्यों तथा उनके अध्यक्ष की पदावधि में 03-01-2019 से 6 माह की कालावधि के लिए केवल एक बार वृद्धि करती है. निर्वाचन के पश्चात्, यह विस्तारित कालावधि उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) और उपधारा (7) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में समायोजित की जाएगी.

2. इन जल उपभोक्ता संथाओं के सक्षम प्राधिकारी ऐसी विस्तारित कालावधि के लिए निरन्तर बने रहेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते रहेंगे.

No. 32-18-2019-M-XXXI-82.—WHEREAS, the election process of one third members of the Water Users Associations and President could not be made possible due to application of code of conduct of Madhya Pradesh Assembly election, therefore, tenure of 5120 members and 1765 Presidents has expired on 3rd January, 2019.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (3) of section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishakon Ki Bhagidari Adhinyam, 1999 the State Government, hereby extends only once the term of office of the members of the such Water Users Associations and President thereof for a period of six months from 03-01-2019. After election, this extended period shall be adjusted in the period as specified in sub-section (3) and sub-section (7) of Section 4 of the said Act.

2. The Competent Authorities of these Water User Association will be continued for such extended period and discharge their duties.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव.